न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 557–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.1.14 पारित द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक अपील 200/अ–6/2011–2012

शैलेन्द्र तनय श्री रामसिंह परिहार

निवासी शास्त्री वार्ड बीना तहसील बीना जिला सागर म0प्र0 ––– आवेदक

विरूद्ध

1– रामसिंह तनय भुज्जे काछी

2– रामकिशोर तनय भुज्जे काछी

3– देवीसिंह तनय भुज्जे काछी

सभी निवासी ग्राम खिमलासा तहसील खुरई जिला सागर म0 प्र0

––– अनावेदकगण

(आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव)

(आनावेदकगण के अधिवक्ता श्री रामबाबू दुवे)

आ दे श

(आज दिनांक 24.11.15 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 200/अ–6/2011–2012 में पारित आदेश दिनांक 01.01.14 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक शैलेन्द्र सिंह पिता रामसिंह निवासी शास्त्री वार्ड बीना जिला सागर द्वारा धारा 89 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि आवेदक द्वारा हरीसिंह पिता गुपाल कुशवाह निवासी खिमलासा से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 15.7.1991 भूमि खसरा न. 431/2 रकवा 0.918 है0 भूमि स्थित ग्राम खिमलासा कय की गई थी । आवेदक का नाम उपरोक्त भूमि के कय दिनांक से राजस्व अभिलेखों में दर्ज एवं मौके पर कब्जा चला आ रहा है । आवेदन में यह उल्लेख किया है कि बन्दोवस्त के दौरान आवेदक की उपरोक्त भूमि खसरा न0 431/2 रकबा 0.918 है0 स्थित ग्राम खिमलासा के नये खसरा न0 636, 638 एवं 739/2 रकबा कमशः 0.32, है0 0.36 है0 एवं 0.01 है कुल रकबा 0.69 है0 बनाया गया । इस प्रकार बन्दोवस्त अवधि के दौरान आवेदक की स्वत्व स्वामित्व की भूमि के रकबे में 0.28 है0 की कमी आ गई तथा तीनो खसरा न0 अलग–अलग बना दिये गये जिसे सुधार हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार खुरई द्वारा प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर उद्घोषणा का प्रकाशन कराया गया। नियत अवधि तक कोई आपत्ति नहीं आई । अनावेदकगण को नोटिस भेजा गया। अनावेदक–1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक–2 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । प्रकरण में आवेदक शैलेन्द्र सिंह के नाम विकेता हरीसिंह तनय गुपाल काछी निवासी खिमलासा के स्थान पर संशोधन पंजी कमांक–19 आदेश दिनांक 7.8.91 द्वारा नामांतरण दर्ज किया। नायब तहसीलदार खुरई ने धारा 89 एवं धारा 107(5) के

तहत रीनम्बरिंग एवं नक्शे में हुई त्रुटि के सुधार हेतु अनुविभागीय अधिकारी को अपना प्रतिवेदन दिनांक 18.11.10 को भेजा। दिनांक 28.11.11 ने यह प्रतिवेदन उस पर प्राप्त आपत्तियों एवं उनके उत्तरों सहित कलेक्टर की ओर प्रेषित किया । तदुपरांत अपर कलेक्टर सागर के यहां प्रकरण में उभयपक्ष को तलब किया जाकर सुना गया तथा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन का परीक्षण कर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के तहत प्रकरण मूलतः नायब तहसीलदार खिमलासा तहसील खुरई की ओर आदेश दिनांक 16.1.12 द्वारा दुरस्ती हेतु भेजा गया। इसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत की गई जिसमें आदेश दिनांक 1.1.14 को अपील स्वीकार की जाकर उल्लेख किया कि नायब तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया है वह म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–107 के अन्तर्गत कलेक्टर सागर के समक्ष नक्शा दुरस्ती की कार्यवाही हेतु जाना चाहिये था। इसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3–निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये तथा उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा अपनी अपनी लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है, उसका भी बारीकी से मेरे द्वारा अवलोकन किया गया ।

4–आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदक ने हरीसिंह पिता गुपाल कुशवाह से विक्रय पत्र दिनांक 15.7.91 को जमीन क्रय की उसी के आधार पर आवेदक द्वारा नक्शा का सुधार एवं दुरस्त करने का आवेदन दिया है । अतः अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 16.1.12 के आदेशानुसार नक्शा सुधार किया गया । अतः आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार का आदेश सही होने से स्थिर रखा जावे ।

5– अनावेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में बताया है कि विषयांकित भूमि अनावेदकगण की स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जिस पर वह कई वर्षो से खेती करते चले आ रहे हैं एवं

अनावेदकगण का उस पर मकान भी बना है तथा देवस्थान के चबूतरे आदि बने हुये हैं । उसी सर्वे न0 पर शमशान आदि है । अतः उनके द्वारा बताया गया है कि अपर कलेक्टर सागर द्वारा दुरस्ती के आदेश विधि विरूद्ध दिये गये हैं । क्योंकि धारा 107 में नक्शा सुधार हेतु कलेक्टर को अधिकार है न कि नायब तहसीलदार को । अतः अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा दिया गया निर्णय विधि संगत है । उनके द्वारा अंत में निवेदन किया कि आवेदक की निगरानी अस्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 1.1.14 स्थिर रखा जावे ।

6–प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि राजस्व सर्वेक्षण/बन्दोवस्त अवधि के बाहर नक्शा तैयार एवं पुनरीक्षित कलेक्टर स्वयं करेगा या वह यह कार्य अपने अधीनस्थ अमले से करा सकेगा। इस संदर्भ में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 107 (5) के अनुसार 'ऐसा नक्शा राजस्व सर्वेक्षण के समय बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा और समस्त अन्य समयों पर तथा समस्त अन्य परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा यथास्थिति तैयार या पुनरीक्षित किया जाऐगा', लिखा है।

7– प्रकरण में दिनांक 16.1.12 को अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया है । अपने आदेश दिनांक 16.1.12 में अपर कलेक्टर ने प्रदर्श पी 1 से 3 के अनुसार अभिलेख दुरस्त करने का आदेश संहिता की धारा 107 के अधीन पारित करते हुये, आदेशानुसार दुरूस्ती की कार्यवाही हेतु प्रकरण नायब तहसीलदार को कार्यवाही कर उनके (अपर कलेक्टर के) न्यायालय को वापिस करने के लिये प्रेषित किया है।

प्रदर्श पी–1 नायब तहसीलदार को राजस्व निरीक्षक द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन है, प्रदर्श पी–2 प्रस्तावित सारिणी है, तथा प्रदर्श पी–3 प्रस्तावित नक्शा है। इनके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इन्हें राजस्व निरीक्षक एव नायब तहसीलदार द्वारा अपेक्षा अनुसार ध्यान देते हुये एवं सफाई के साथ नहीं बनाया गया। प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 में यह लिखा है कि पुराने खसरा न0 431/1 की रकबा बरारी करने पर उसका रकबा कम

पाया गया, एवं नये सर्वे कमांको पर अलग–अलग व्यक्तियों के कब्जों का लेख किया गया है, जिसके आधार पर नई सारिणी एवं नक्शा प्रस्तावित किया गया है। अपर कलेक्टर ने अपना आदेश केवल इन प्रदर्शो का संदर्भ लेते हुये पारित कर दिया है। उन्होंने अपने आदेश के माध्यम से विधिवत नये सिरे से नक्शा बनाने एवं पक्षकारों के सर्वे नम्बर कायम करने का कार्य नहीं क़िया है। साथ ही, जैसा अपर आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा है, उन्होंने हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर भी नहीं दिया है । इन सभी कारणों से अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है एवं अपर आयुक्त ने उसे निरस्त करने में भूल नहीं की है।

8– उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं यह निगरानी अस्वीकार करता हूँ, एवं न्यायहित में यह प्रकरण कलेक्टर जिला सागर को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ कि वे विषयांकित प्रकरण अब अपने समक्ष खोलें तथा उसमें नये सिरे से पूरी कार्यवाही पुनः सुनिश्चित करायें । अपनी कार्यवाही के दौरान कलेक्टर पुराने नक्शों, कब्जों एवं भूमिस्वामी अधिकारों का संदर्भ लें, एवं उनका परीक्षण करते हुये स्पष्ट एवं बोलते हुये निष्कर्षो के माध्यम से, समस्त डिटेल्स स्पष्टतापूर्वक सम्मिलित करते हुये, राजस्व नक्शे एवं अभिलेख का आवश्यक पुनरीक्षण करें। कार्यवाही के दौरान समस्त हितबद्ध पक्षकारों को उनका पक्ष समर्थन करने का विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसार समुचित अवसर दें। कलेक्टर अपना आदेश उन्हें इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 6 माह के भीतर पारित करना सुनिश्चित करें।

पक्षकार सूचित हों । अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दा0दर्ज0 हो।

आशीष श्रीवास्तव
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर